राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

क्रमांकः प.10(न.पा.)(गठन)(   )डीएलबी/20/54।   दिनांकः 23/03/2021

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 थ के खण्ड (2) के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी स्थानीय क्षेत्र को नगरपालिका बनाये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा विभागीय अधिसूचना क्रमांक 351 दिनांक 19.02.2021 द्वारा मानक निर्धारित किये गये है। ग्राम पंचायत बसेडी का राजस्व ग्राम बसेडी–I, बसेडी–II, कन्दपुरा, ग्राम पंचायत तिमासिया का राजस्व ग्राम तिमासिया, मठ बादरी एवं ग्राम पंचायत बरई का राजस्व ग्राम नगला दरवेशा सम्पूर्ण क्षेत्र जिला धौलपुर को नगरपालिका बनाये जाने के उद्देश्य से विभागीय अधिसूचना क्रमांक 351 दिनांक 19.02.2021 द्वारा निर्धारित मानको के प्रकाश में परीक्षण कर विचार किया गया। प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त सम्पूर्ण क्षेत्र की वर्ष 2011 की जनगणना में जनंसख्या 22,872 है। यहां जनसंख्या घनत्व 1139 व्यक्ति प्रतिवर्ग कि.मी. और कृषि से भिन्न क्रियाकलापों में नियोजन का भाग 26 प्रतिशत है।

उक्त क्षेत्र व्यवसायिक एंवं औद्योगिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण एवं विकसित स्थान है। इस क्षेत्र का शहरीकरण तीव्र गति से हो रहा है एवं स्टेट हाईवे पर स्थित होने से यातायात की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में उपखण्ड कार्यालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पुलिस थाना, तहसील कार्यालय, पंचायत समिति, सहायक अभियन्ता जेविविएनएल, पीएचईडी, सार्वजनिक निर्माण विभाग आदि कार्यालय, ग्राम न्यायालय, राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखायें एवं अन्य नागरिक सुविधाएं भी विद्यमान है। यह क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र मुख्यालय भी है।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2020–21 की बजट घोषणा में ग्राम पंचायत बसेडी को नगरपालिका बनाये जाने की घोषणा की गई है। उक्त क्षेत्र विभागीय अधिसूचना क्रमांक 351 दिनांक 19.02.2021 द्वारा नगरपालिका बनाये जाने हेतु निर्धारित मानकों को पूर्ण करती है। इस संवंध में मंत्रिमण्डल आज्ञा क्रमांक 42/2021 दिनांक 18 मार्च, 2021 द्वारा भी स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतः राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 3 की उप–धारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ग्राम पंचायत बसेडी के राजस्व ग्राम बसेडी–I, बसेडी–II, कन्दपुरा, ग्राम पंचायत तिमासिया के राजस्व ग्राम तिमासिया, मठ बादरी एवं ग्राम पंचायत बरई के राजस्व ग्राम नगला दरवेशा सम्पूर्ण क्षेत्र जिला धौलपुर को एतद्द्वारा चतुर्थ श्रेणी की नगरपालिका घोषित करती है। इस क्षेत्र को नगरपालिका बसेडी जिला धौलपुर के नाम से संबोधित किया जायेगा। ग्राम पंचायत बसेडी के राजस्व ग्राम बसेडी–I, बसेडी–II, कन्दपुरा, ग्राम पंचायत तिमासिया के राजस्व ग्राम तिमासिया, मठ बादरी एवं ग्राम पंचायत बरई के राजस्व ग्राम नगला दरवेशा सम्पूर्ण क्षेत्र जिला धौलपुर की वर्तमान सीमायें नगरपालिका बसेडी जिला धौलपुर की सीमायें मानी जावेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(दीपक नन्दी)

निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव

REDMI NOTE 9 PRO MAX
AI QUAD CAMERA

क्रमांकः प.10(न.पा.)(गठन)(   )डीएलबी/20/542-605   दिनांकः 23/03/2021

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

01. निजी सचिव, सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
02. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
03. विशिष्ठ सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
04. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
05. निजी सचिव, महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर।
06. अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर (स्वायत्त शासन विभाग)।
07. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
08. निजी सचिव, अध्यक्ष, राज्य वित्त आयोग, राज. जयपुर।
09. निजी सचिव, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राज. जयपुर।
10. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
11. निजी सचिव, आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज. विभाग जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि उपरोक्त नवगठित नगरपालिका में शामिल ग्राम पंचायत को पंचायत सीमा से पृथक किये जाने के संबंध में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करावे एवं संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच/सचिव को अधिसूचना की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवावें।
12. निदेशक, जनगणना विभाग, राज. जयपुर।
13. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राज. जयपुर।
14. संभागीय आयुक्त, समस्त राजस्थान।
15. जिला कलक्टर, समस्त राजस्थान।
16. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
17. मुख्य नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग, राज. जयपुर।
18. निदेशक/अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राज. जयपुर को आगामी असाधारण अंक राज. राजपत्र में प्रकाशनार्थ एवं 50 प्रतियां उपलब्ध कराये जाने हेतु।
19. समस्त अधिकारीगण एवं अनुभाग, निदेशालय स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
20. सुरक्षित पत्रावली।

(संजय माथुर)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी

REDMI NOTE 9 PRO MAX
AI QUAD CAMERA

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

क्रमांकः प.10(न.पा.)(गठन)(   )डीएलबी / 20/606   दिनांकः 23/03/2021

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 थ के खण्ड (2) के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी स्थानीय क्षेत्र को नगरपालिका बनाये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा विभागीय अधिसूचना क्रमांक 351 दिनांक 19.02.2021 द्वारा मानक निर्धारित किये गये है। ग्राम पंचायत मण्डावरी जिला दौसा को नगरपालिका बनाये जाने के उद्देश्य से विभागीय अधिसूचना क्रमांक 351 दिनांक 19.02.2021 द्वारा निर्धारित मानको के प्रकाश में परीक्षण कर विचार किया गया। प्राप्त सूचना के अनुसार ग्राम पंचायत मण्डावरी जिला दौसा की वर्ष 2011 की जनगणना में जनसंख्या 10,798 है। यहां जनसंख्या घनत्व 907 व्यक्ति प्रतिवर्ग कि.मी. और कृषि से भिन्न क्रियाकलापों में नियोजन का भाग 40 प्रतिशत है।

साथ ही ग्राम पंचायत मण्डावरी जिला दौसा व्यवसायिक एवं औद्योगिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण एवं विकसित स्थान है। इस क्षेत्र का शहरीकरण तीव्र गति से हो रहा है एवं राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित होने से यातायात की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में, पुलिस थाना, कृषि उपज मण्डी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल, राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखायें एवं अन्य नागरिक सुविधाएं भी विद्यमान है।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2020–21 की बजट घोषणा में ग्राम पंचायत मण्डावरी को नगरपालिका बनाये जाने की घोषणा की गई है। ग्राम पंचायत मण्डावरी विभागीय अधिसूचना क्रमांक 351 दिनांक 19.02.2021 द्वारा नगरपालिका बनाये जाने हेतु निर्धारित मानकों को पूर्ण करती है। इस संबंध में मंत्रिमण्डल आज्ञा क्रमांक 42 / 2021 दिनांक 18 मार्च, 2021 द्वारा भी स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतः राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 3 की उप–धारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ग्राम पचांयत मण्डावरी जिला दौसा को एतद्द्वारा चतुर्थ श्रेणी की नगरपालिका घोषित करती है। इस क्षेत्र को नगरपालिका मण्डावरी जिला दौसा के नाम से संबोधित किया जायेगा। ग्राम पंचायत मण्डावरी जिला दौसा की वर्तमान सीमायें नगरपालिका मण्डावरी जिला दौसा की सीमायें मानी जावेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(दीपक नन्दी)
निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव

REDMI NOTE 9 PRO MAX

क्रमांक: प.10(न.पा.)(गठन)(   )डीएलबी/20/607-666 दिनांक: 23/3/2021

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

01. निजी सचिव, सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
02. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
03. विशिष्ठ सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
04. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
05. निजी सचिव, महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर।
06. अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर (स्वायत्त शासन विभाग)।
07. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
08. निजी सचिव, अध्यक्ष, राज्य वित्त आयोग, राज. जयपुर।
09. निजी सचिव, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राज. जयपुर।
10. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
11. निजी सचिव, आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज. विभाग जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि उपरोक्त नवगठित नगरपालिका में शामिल ग्राम पंचायत को पंचायत सीमा से पृथक किये जाने के संबंध में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करावे एवं संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच/सचिव को अधिसूचना की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवावें।
12. निदेशक, जनगणना विभाग, राज. जयपुर।
13. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राज. जयपुर।
14. संभागीय आयुक्त, समस्त राजस्थान।
15. जिला कलक्टर, समस्त राजस्थान।
16. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
17. मुख्य नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग, राज. जयपुर।
18. निदेशक/अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राज. जयपुर को आगामी असाधारण अंक राज. राजपत्र में प्रकाशनार्थ एवं 50 प्रतियां उपलब्ध कराये जाने हेतु।
19. समस्त अधिकारीगण एवं अनुभाग, निदेशालय स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
20. सुरक्षित पत्रावली।

(संजय माथुर)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी

REDMI NOTE 9 PRO MAX

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

क्रमांकः प.10(न.पा.)(गठन)( )डीएलबी/20/667 दिनांकः 23/03/2021

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 थ के खण्ड (2) के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी स्थानीय क्षेत्र को नगरपालिका बनाये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा विभागीय अधिसूचना क्रमांक 351 दिनांक 19.02.2021 द्वारा मानक निर्धारित किये गये है। ग्राम पंचायत सरमथुरा जिला धौलपुर को नगरपालिका बनाये जाने के उद्देश्य से विभागीय अधिसूचना क्रमांक 351 दिनांक 19.02.2021 द्वारा निर्धारित मानको के प्रकाश में परीक्षण कर विचार किया गया। प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त सम्पूर्ण क्षेत्र की वर्ष 2011 की जनगणना में जनसख्या 21,110 है। यहां जनसंख्या घनत्व 1455 व्यक्ति प्रतिवर्ग कि.मी. और कृषि से भिन्न क्रियाकलापों में नियोजन का भाग 80 प्रतिशत है।

उक्त क्षेत्र व्यवसायिक एवं औद्योगिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण एवं विकसित स्थान है। इस क्षेत्र का शहरीकरण तीव्र गति से हो रहा है एवं नेशनल हाईवे पर स्थित होने से यातायात की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में उपखण्ड कार्यालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पुलिस थाना, तहसील कार्यालय, पंचायत समिति कार्यालय आदि, नेरो गेज रेल्वे स्टेशन, राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखायें, कार्यालय सहायक अभियन्ता, जेवीवीएनएल, सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं अन्य नागरिक सुविधाएं भी विद्यमान है। इस क्षेत्र में पत्थर व्यवसाय आय का प्रमुख स्त्रोत है।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2020–21 की बजट घोषणा में ग्राम पंचायत सरमथुरा को नगरपालिका बनाये जाने की घोषणा की गई है। ग्राम पंचायत सरमथुरा विभागीय अधिसूचना क्रमांक 351 दिनांक 19.02.2021 द्वारा नगरपालिका बनाये जाने हेतु निर्धारित मानकों को पूर्ण करती है। इस संबंध में मंत्रिमण्डल आज्ञा क्रमांक 42/2021 दिनांक 18 मार्च, 2021 द्वारा भी स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतः राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 3 की उप–धारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ग्राम पचांयत सरमथुरा जिला धौलपुर को एतद्द्वारा चतुर्थ श्रेणी की नगरपालिका घोषित करती है। इस क्षेत्र को नगरपालिका सरमथुरा जिला धौलमुर के नाम से संबोधित किया जायेगा। ग्राम पंचायत सरमथुरा जिला धौलपुर की वर्तमान सीमायें नगरपालिका सरमथुरा जिला धौलपुर की सीमायें मानी जावेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(दीपक नन्दी)
निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव

REDMI NOTE 9 PRO MAX

क्रमांकः प.10(न.पा.)(गठन)( )डीएलबी/20/ 668-727 दिनांकः 23/03/2021

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

01. निजी सचिव, सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
02. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
03. विशिष्ठ सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
04. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
05. निजी सचिव, महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर।
06. अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर (स्वायत्त शासन विभाग)।
07. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
08. निजी सचिव, अध्यक्ष, राज्य वित्त आयोग, राज. जयपुर।
09. निजी सचिव, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राज. जयपुर।
10. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
11. निजी सचिव, आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज. विभाग जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि उपरोक्त नवगठित नगरपालिका में शामिल ग्राम पंचायत को पंचायत सीमा से पृथक किये जाने के संबंध में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करावे एवं संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच/सचिव को अधिसूचना की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवावें।
12. निदेशक, जनगणना विभाग, राज. जयपुर।
13. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राज. जयपुर।
14. संभागीय आयुक्त, समस्त राजस्थान।
15. जिला कलक्टर, समस्त राजस्थान।
16. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
17. मुख्य नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग, राज. जयपुर।
18. निदेशक/अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राज. जयपुर को आगामी असाधारण अंक राज. राजपत्र में प्रकाशनार्थ एवं 50 प्रतियां उपलब्ध कराये जाने हेतु।
19. समस्त अधिकारीगण एवं अनुभाग, निदेशालय स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
20. सुरक्षित पत्रावली।

(संजय माथुर)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

क्रमांकः प.10(न.पा.)(गठन)(   )डीएलबी/20/728

दिनांकः 23/03/2021

<u>अधिसूचना</u>

भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 थ के खण्ड (2) के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी स्थानीय क्षेत्र को नगरपालिका बनाये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा विभागीय अधिसूचना क्रमांक 351 दिनांक 19.02.2021 द्वारा मानक निर्धारित किये गये है। ग्राम पंचायत जावाल जिला सिरोही को नगरपालिका बनाये जाने के उद्देश्य से विभागीय अधिसूचना क्रमांक 351 दिनांक 19.02.2021 द्वारा निर्धारित मानको के प्रकाश में परीक्षण कर विचार किया गया। प्राप्त सूचना के अनुसार ग्राम पंचायत जावाल जिला सिरोही की वर्ष 2011 की जनगणना में जनंसख्या 10,293 है। यहां जनसंख्या घनत्व 389 व्यक्ति प्रतिवर्ग कि.मी. और कृषि से भिन्न क्रियाकलापों में नियोजन का भाग 50 प्रतिशत है।

साथ ही ग्राम पंचायत जावाल जिला सिरोही उपखण्ड सिरोही के ग्रामीण क्षेत्र का सबसे बडा व्यापारिक केन्द्र है एवं एक महत्वपूर्ण एवं विकसित स्थान है। इस क्षेत्र का शहरीकरण तीव्र गति से हो रहा है। इस क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पुलिस चौकी, कस्तुरबा गांधी आवासीय विद्यालय, अम्बेडकर छात्रावास कृषि उपज गौण मंडी, कार्यालय सहायक अभियन्ता जोविविनिलि एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखायें एवं अन्य नागरिक सुविधाएं भी विद्यमान है। यहां औद्योगिक क्षेत्र भी प्रस्तावित है।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2020–21 की बजट घोषणा में ग्राम पंचायत जावाल को नगरपालिका बनाये जाने की घोषणा की गई है। ग्राम पंचायत जावाल विभागीय अधिसूचना क्रमांक 351 दिनांक 19.02.2021 द्वारा नगरपालिका बनाये जाने हेतु निर्धारित मानकों को पूर्ण करती है। इस संबंध में मंत्रिमण्डल आज्ञा क्रमांक 42/2021 दिनांक 18 मार्च, 2021 द्वारा भी स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतः राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 3 की उप–धारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ग्राम पचांयत जावाल जिला सिरोही को एतद्द्वारा चतुर्थ श्रेणी की नगरपालिका घोषित करती है। इस क्षेत्र को नगरपालिका जावाल जिला सिरोही के नाम से संबोधित किया जायेगा। ग्राम पंचायत जावाल जिला सिरोही की वर्तमान सीमायें नगरपालिका जावाल जिला सिरोही की सीमायें मानी जावेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(दीपक नन्दी)
निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव

क्रमांकः प.10(न.पा.)(गठन)( )डीएलबी/20/ 721–790 दिनांकः 23/03/2021

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

01. निजी सचिव, सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
02. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
03. विशिष्ठ सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
04. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
05. निजी सचिव, महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर।
06. अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर (स्वायत्त शासन विभाग)।
07. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
08. निजी सचिव, अध्यक्ष, राज्य वित्त आयोग, राज. जयपुर।
09. निजी सचिव, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राज. जयपुर।
10. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
11. निजी सचिव, आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज. विभाग जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि उपरोक्त नवगठित नगरपालिका में शामिल ग्राम पंचायत को पंचायत सीमा से पृथक किये जाने के संबंध में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करावे एवं संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच/सचिव को अधिसूचना की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवावें।
12. निदेशक, जनगणना विभाग, राज. जयपुर।
13. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राज. जयपुर।
14. संभागीय आयुक्त, समस्त राजस्थान।
15. जिला कलक्टर, समस्त राजस्थान।
16. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
17. मुख्य नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग, राज. जयपुर।
18. निदेशक/अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राज. जयपुर को आगामी असाधारण अंक राज. राजपत्र में प्रकाशनार्थ एवं 50 प्रतियां उपलब्ध कराये जाने हेतु।
19. समस्त अधिकारीगण एवं अनुभाग, निदेशालय स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
20. सुरक्षित पत्रावली।

(संजय माथुर)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

क्रमांकः प.10(न.पा.)(गठन)(   )डीएलबी/20/791   दिनांकः 23.3.2021

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 थ के खण्ड (2) के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी स्थानीय क्षेत्र को नगरपालिका बनाये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा विभागीय अधिसूचना क्रमांक 351 दिनांक 19.02.2021 द्वारा मानक निर्धारित किये गये है। ग्राम पंचायत सीकरी जिला भरतपुर को नगरपालिका बनाये जाने के उद्देश्य से विभागीय अधिसूचना क्रमांक 351 दिनांक 19.02.2021 द्वारा निर्धारित मानको के प्रकाश में परीक्षण कर विचार किया गया। प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त सम्पूर्ण क्षेत्र की वर्ष 2011 की जनगणना में जनंसख्या 17,148 है। यहां जनसंख्या घनत्व 868 व्यक्ति प्रतिवर्ग कि.मी. और कृषि से भिन्न क्रियाकलापों में नियोजन का भाग 40 प्रतिशत है।

उक्त क्षेत्र एक महत्वपूर्ण एवं विकसित स्थान है। इस क्षेत्र का शहरीकरण तीव्र गति से हो रहा है एवं स्टेट हाईवे पर स्थित होने से यातायात की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में पुलिस थाना, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, तहसील कार्यालय आदि, कृषि उपज मण्डी, 132 केवी ग्रिड सब–स्टेशन स्वीकृत एवं निर्माणाधीन, कार्यालय रेन्जर वन विभाग, पशु चिकित्सा विभाग कार्यालय, भू–अभिलेख निरीक्षक कार्यालय, राजकीय महाविद्यालय, राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखांयें एवं अन्य नागरिक सुविधाएं भी विद्यमान है। इस क्षेत्र में फर्नीचर एवं मूर्ति बनाने का व्यवसाय आय का प्रमुख स्त्रोत है।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2020–21 की बजट घोषणा में ग्राम पंचायत सीकरी को नगरपालिका बनाये जाने की घोषणा की गई है। ग्राम पंचायत सीकरी विभागीय अधिसूचना क्रमांक 351 दिनांक 19.02.2021 द्वारा नगरपालिका बनाये जाने हेतु निर्धारित मानकों को पूर्ण करती है। इस संबंध में मंत्रिमण्डल आज्ञा क्रमांक 42/2021 दिनांक 18 मार्च, 2021 द्वारा भी स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतः राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 3 की उप–धारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ग्राम पचांयत सीकरी जिला भरतपुर को एतदद्वारा चतुर्थ श्रेणी की नगरपालिका घोषित करती है। इस क्षेत्र को नगरपालिका सीकरी जिला भरतपुर के नाम से संबोधित किया जायेगा। ग्राम पंचायत सीकरी जिला भरतपुर की वर्तमान सीमायें नगरपालिका सीकरी जिला भरतपुर की सीमायें मानी जावेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(दीपक नन्दी)
निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव

क्रमांकः प.10(न.पा.)(गठन)( )डीएलबी/20/ 792-853 दिनांकः 23-3-2021

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

01. निजी सचिव, सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
02. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
03. विशिष्ठ सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
04. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
05. निजी सचिव, महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर।
06. अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर (स्वायत्त शासन विभाग)।
07. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
08. निजी सचिव, अध्यक्ष, राज्य वित्त आयोग, राज. जयपुर।
09. निजी सचिव, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राज. जयपुर।
10. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
11. निजी सचिव, आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि उपरोक्त नवगठित नगरपालिका में शामिल ग्राम पंचायत को पंचायत सीमा से पृथक किये जाने के संबंध में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करावे एवं संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच/सचिव को अधिसूचना की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवावें।
12. निदेशक, जनगणना विभाग, राज. जयपुर।
13. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राज. जयपुर।
14. संभागीय आयुक्त, समस्त राजस्थान।
15. जिला कलक्टर, समस्त राजस्थान।
16. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
17. मुख्य नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग, राज. जयपुर।
18. निदेशक/अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राज. जयपुर को आगामी असाधारण अंक राज. राजपत्र में प्रकाशनार्थ एवं 50 प्रतियां उपलब्ध कराये जाने हेतु।
19. समस्त अधिकारीगण एवं अनुभाग, निदेशालय स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
20. सुरक्षित पत्रावली।

(संजय माथुर)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी

REDMI NOTE 9 PRO MAX

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

क्रमांकः प.10(न.पा.)(गठन)( )डीएलबी/20/ 854

दिनांकः 23/03/2021

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 थ के खण्ड (2) के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी स्थानीय क्षेत्र को नगरपालिका बनाये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा विभागीय अधिसूचना क्रमांक 351 दिनांक 19.02.2021 द्वारा मानक निर्धारित किये गये है। ग्राम पंचायत बस्सी जिला जयपुर को नगरपालिका बनाये जाने के उद्देश्य से विभागीय अधिसूचना क्रमांक 351 दिनांक 19.02.2021 द्वारा निर्धारित मानको के प्रकाश में परीक्षण कर विचार किया गया। प्राप्त सूचना के अनुसार ग्राम पंचायत बस्सी जिला जयपुर की वर्ष 2011 की जनगणना में जनंसख्या 26,029 है। यहां जनसंख्या घनत्व 2000 व्यक्ति प्रतिवर्ग कि.मी. और कृषि से भिन्न क्रियाकलापों में नियोजन का भाग 65 प्रतिशत है।

साथ ही ग्राम पंचायत बस्सी जिला जयपुर व्यवसायिक एवं औद्योगिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण एवं विकसित स्थान है। इस क्षेत्र का शहरीकरण तीव्र गति से हो रहा है एवं राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित होने से यातायात की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में रेल्वे स्टेशन, रिको इन्डस्ट्रीयल ऐरिया, सहायक पुलिस आयुक्त, उपखण्ड अधिकारी, तहसील कार्यालय, पंचायत समिति, सहायक कलेक्टर, ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, सहायक कृषि अधिकारी, भू सरंक्षण एवं जल ग्रहण, महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिंकारी आदि कार्यालय, न्यायालय अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट एवं सिविल न्यायाधीश, न्यायालय सिविल जज (क.ख.) एवं महानगर मजिस्ट्रेट, ग्राम न्यायालय, कृषि उपज मण्डी, पशु चिकित्सालय, अधिशाषी अभियन्ता बीसलपुर परियोजना, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जेवीवीएनएल, भीमराव अम्बेडकर राजकीय छात्रावास, राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखायें एवं अन्य नागरिक सुविधाएं भी विद्यमान है। यह क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र मुख्यालय भी है।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2020–21 की बजट घोषणा में ग्राम पंचायत बस्सी को नगरपालिका बनाये जाने की घोषणा की गई है। ग्राम पंचायत बस्सी विभागीय अधिसूचना क्रमांक 351 दिनांक 19.02.2021 द्वारा नगरपालिका बनाये जाने हेतु निर्धारित मानकों को पूर्ण करती है। इस संवंध में मंत्रिमण्डल आज्ञा क्रमांक 42/2021 दिनांक 18 मार्च, 2021 द्वारा भी स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतः राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 3 की उप–धारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ग्रांम पचांयत बस्सी जिला जयपुर को एतद्द्वारा चतुर्थ श्रेणी की नगरपालिका घोषित करती है। इस क्षेत्र को नगरपालिका बस्सी जिला जयपुर के नाम से संबोधित किया जायेगा। ग्राम पंचायत बस्सी जिला जयपुर की वर्तमान सीमायें नगरपालिका बस्सी जिला जयपुर की सीमायें मानी जावेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(दीपक नन्दी)
निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव

क्रमांकः प.10(न.पा.)(गठन)( )डीएलबी/20/ 855-915 दिनांकः 23/03/2021

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

01. निजी सचिव, सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
02. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
03. विशिष्ठ सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
04. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
05. निजी सचिव, महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर।
06. अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर (स्वायत्त शासन विभाग)।
07. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
08. निजी सचिव, अध्यक्ष, राज्य वित्त आयोग, राज. जयपुर।
09. निजी सचिव, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राज. जयपुर।
10. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
11. निजी सचिव, आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज. विभाग जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि उपरोक्त नवगठित नगरपालिका में शामिल ग्राम पंचायत को पंचायत सीमा से पृथक किये जाने के संबंध में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करावे एवं संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच/सचिव को अधिसूचना की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवावें।
12. निदेशक, जनगणना विभाग, राज. जयपुर।
13. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राज. जयपुर।
14. संभागीय आयुक्त, समस्त राजस्थान।
15. जिला कलक्टर, समस्त राजस्थान।
16. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
17. मुख्य नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग, राज. जयपुर।
18. निदेशक/अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राज. जयपुर को आगामी असाधारण अंक राज. राजपत्र में प्रकाशनार्थ एवं 50 प्रतियां उपलब्ध कराये जाने हेतु।
19. समस्त अधिकारीगण एवं अनुभाग, निदेशालय स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
20. सुरक्षित पत्रावली।

(संजय माथुर)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

क्रमांकः प.10(न.पा.)(गठन)( )डीएलबी/20/ 916 दिनांकः 23/03/2021

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 थ के खण्ड (2) के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी स्थानीय क्षेत्र को नगरपालिका बनाये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा विभागीय अधिसूचना क्रमांक 351 दिनांक 19.02.2021 द्वारा मानक निर्धारित किये गये है। ग्राम पंचायत अटरू का राजस्व ग्राम अटरू, लक्ष्मीपुरा, ग्राम पंचायत खेडलीगंज का राजस्व ग्राम खेडलीगंज, ग्राम पंचायत रतनपुरा का राजस्व ग्राम रतनपुरा, गोविन्दपुरा, चैनपुरिया, ग्राम पंचायत बंरला का राजस्व ग्राम खेडलीबांसला, ग्राम पंचायत मेरमाचाह का राजस्व ग्राम बेडक्या सम्पूर्ण क्षेत्र जिला बारां को नगरपालिका बनाये जाने के उद्देश्य से विभागीय अधिसूचना क्रमांक 351 दिनांक 19.02.2021 द्वारा निर्धारित मानको के प्रकाश में परीक्षण कर विचार किया गया। प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त सम्पूर्ण क्षेत्र की वर्ष 2011 की जनगणना में जनसंख्या 24691 है। यहां जनसंख्या घनत्व 2785 व्यक्ति प्रतिवर्ग कि.मी. और कृषि से भिन्न क्रियाकलापों में नियोजन का भाग 30 प्रतिशत है।

उक्त क्षेत्र व्यवसायिक एवं औद्योगिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण एवं विकसित स्थान है। इस क्षेत्र का शहरीकरण तीव्र गति से हो रहा है एवं नेशनल हाईवे पर स्थित होने से यातायात की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में उपखण्ड कार्यालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, उप पुलिस अधीक्षक, तहसील कार्यालय, पंचायत समिति कार्यालय आदि, राजकीय महाविद्यालय, न्यायालय अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट, ग्राम न्यायालय, रेल्वे स्टेशन, कृषि उपज मण्डी, ग्रिड सब–स्टेशन एवं अन्य नागरिक सुविधाएं भी विद्यमान है। इस क्षेत्र में केन्द्र सरकार द्वारा संचालित जवाहर नवोदय आवासीय विद्यालय भी स्थित है। इस क्षेत्र के नजदीक कवाई तहसील अटरू में अडाणी थर्मल पॉवर प्लांट स्थित है।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2020–21 की बजट घोषणा में अटरू को नगरपालिका बनाये जाने की घोषणा की गई है। उक्त क्षेत्र विभागीय अधिसूचना क्रमांक 351 दिनांक 19.02.2021 द्वारा नगरपालिका बनाये जाने हेतु निर्धारित मानकों को पूर्ण करता है। इस संबंध में मंत्रिमण्डल आज्ञा क्रमांक 42/2021 दिनांक 18 मार्च, 2021 द्वारा भी स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतः राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 3 की उप–धारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ग्राम पंचायत अटरू का राजस्व ग्राम अटरू, लक्ष्मीपुरा, ग्राम पंचायत खेडलीगंज का राजस्व ग्राम खेडलीगंज, ग्राम पंचायत रतनपुरा का राजस्व ग्राम रतनपुरा, गोविन्दपुरा, चैनपुरिया, ग्राम पंचायत बंरला का राजस्व ग्राम खेडलीबांसला, ग्राम पंचायत मेरमाचाह का राजस्व ग्राम बेडक्या सम्पूर्ण क्षेत्र जिला बारां को एतदद्वारा चतुर्थ श्रेणी की नगरपालिका घोषित करती है। इस क्षेत्र को नगरपालिका अटरू जिला बारां के नाम से संबोधित किया जायेगा। ग्राम पंचायत अटरू का राजस्व ग्राम अटरू, लक्ष्मीपुरा, ग्राम पंचायत खेडलीगंज का राजस्व ग्राम खेडलीगंज, ग्राम पंचायत रतनपुरा का राजस्व ग्राम रतनपुरा, गोविन्दपुरा, चैनपुरिया, ग्राम पंचायत बंरला का राजस्व ग्राम खेडलीबांसला, ग्राम, पंचायत मेरमाचाह का राजस्व ग्राम बेडक्या सम्पूर्ण क्षेत्र जिला बारां की वर्तमान सीमायें नगरपालिका अटरू जिला बारां की सीमायें मानी जावेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(दीपक नन्दी)
निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव

क्रमांकः प.10(न.पा.)(गठन)(   )डीएलबी/20/ 317-380   दिनांकः 23/03/2021

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

01. निजी सचिव, सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
02. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
03. विशिष्ठ सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
04. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
05. निजी सचिव, महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर।
06. अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर (स्वायत्त शासन विभाग)।
07. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
08. निजी सचिव, अध्यक्ष, राज्य वित्त आयोग, राज. जयपुर।
09. निजी सचिव, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राज. जयपुर।
10. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
11. निजी सचिव, आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज. विभाग जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि उपरोक्त नवगठित नगरपालिका में शामिल ग्राम पंचायत को पंचायत सीमा से पृथक किये जाने के संबंध में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करावे एवं संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच/सचिव को अधिसूचना की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवावें।
12. निदेशक, जनगणना विभाग, राज. जयपुर।
13. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राज. जयपुर।
14. संभागीय आयुक्त, समस्त राजस्थान।
15. जिला कलक्टर, समस्त राजस्थान।
16. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
17. मुख्य नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग, राज. जयपुर।
18. निदेशक/अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राज. जयपुर को आगामी असाधारण अंक राज. राजपत्र में प्रकाशनार्थ एवं 50 प्रतियां उपलब्ध कराये जाने हेतु।
19. समस्त अधिकारीगण एवं अनुभाग, निदेशालय स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
20. सुरक्षित पत्रावली।

(संजय माथुर)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

क्रमांकः प.10(न.पा.)(गठन)( )डीएलबी/20/ 981

दिनांकः 23/03/2021

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 थ के खण्ड (2) के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी स्थानीय क्षेत्र को नगरपालिका बनाये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा विभागीय अधिसूचना क्रमांक 351 दिनांक 19.02.2021 द्वारा मानक निर्धारित किये गये है। सम्पूर्ण ग्राम पंचायत सपोटरा, राजस्व ग्राम लोकेशनगर, ग्राम पंचायत बापोती के राजस्व ग्राम तुरसंगपुरा, बापोती, मांगरोल सम्पूर्ण क्षेत्र जिला करौली को नगरपालिका बनाये जाने के उद्देश्य से विभागीय अधिसूचना क्रमांक 351 दिनांक 19.02.2021 द्वारा निर्धारित मानको के प्रकाश में परीक्षण कर विचार किया गया। प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त सम्पूर्ण क्षेत्र की वर्ष 2011 की जनगणना में जनसख्या 11,202 है। यहां जनसंख्या घनत्व 790 व्यक्ति प्रतिवर्ग कि.मी. और कृषि से भिन्न क्रियाकलापों में नियोजन का भाग 25 प्रतिशत है।

उक्त क्षेत्र एक महत्वपूर्ण एवं विकसित स्थान है। इस क्षेत्र का शहरीकरण तीव्र गति से हो रहा है। इस क्षेत्र में पुलिस थाना, उपखण्ड कार्यालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, तहसील कार्यालय, पंचायत समिति कार्यालय आदि, राजकीय स्नात्तकोतर महाविद्यालय, सिविल न्यायालय, अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग, सहायक अभियन्ता जेविविएनएल, पीएचईडी कार्यालय, राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखायें एवं अन्य नागरिक सुविधाएं भी विद्यमान है। यह क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र मुख्यालय भी है।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2020–21 की बजट घोषणा में सपोटरा को नगरपालिका बनाये जाने की घोषणा की गई है। उक्त क्षेत्र विभागीय अधिसूचना क्रमांक 351 दिनांक 19.02.2021 द्वारा नगरपालिका बनाये जाने हेतु निर्धारित मानकों को पूर्ण करती है। इस संबंध में मंत्रिमण्डल आज्ञा क्रमांक 42/2021 दिनांक 18 मार्च, 2021 द्वारा भी स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतः राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 3 की उप–धारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ग्राम पंचायत सपोटरा, राजस्व ग्राम लोकेशनगर, ग्राम पंचायत बापोती के राजस्व ग्राम तुरसंगपुरा, बापोती, मांगरोल सम्पूर्ण क्षेत्र जिला करौली को एतदद्वारा चतुर्थ श्रेणी की नगरपालिका घोषित करती है। इस क्षेत्र को नगरपालिका सपोटरा जिला करौली के नाम से संबोधित किया जायेगा। ग्राम पंचायत सपोटरा, राजस्व ग्राम लोकेशनगर, ग्राम पंचायत बापोती के राजस्व ग्राम तुरसंगपुरा, बापोती, मांगरोल सम्पूर्ण क्षेत्र जिला करौली की वर्तमान सीमायें नगरपालिका सपोटरा जिला करौली की सीमायें मानी जावेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(दीपक नन्दी)
निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव

क्रमांकः प.10(न.पा.)(गठन)( )डीएलबी/20/982-1045 दिनांकः 23/03/2021

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

01. निजी सचिव, सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
02. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
03. विशिष्ठ सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
04. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
05. निजी सचिव, महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर।
06. अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर (स्वायत्त शासन विभाग)।
07. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
08. निजी सचिव, अध्यक्ष, राज्यं वित्त आयोग, राज. जयपुर।
09. निजी सचिव, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राज. जयपुर।
10. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
11. निजी सचिव, आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज. विभाग जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि उपरोक्त नवगंठित नगरपालिका में शामिल ग्राम पंचायत को पंचायत सीमा से पृथक किये जाने के संबंध में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करावे एवं संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच/सचिव को अधिसूचना की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवावें।
12. निदेशक, जनगणना विभाग, राज. जयपुर।
13. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राज. जयपुर।
14. संभागीय आयुक्त, समस्त राजस्थान।
15. जिला कलक्टर, समस्त राजस्थान।
16. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
17. मुख्य नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग, राज. जयपुर।
18. निदेशक/अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राज. जयपुर को आगामी असाधारण अंक राज. राजपत्र में प्रकाशनार्थ एवं 50 प्रतियां उपलब्ध कराये जाने हेतु।
19. समस्त अधिकारीगण एवं अनुभाग, निदेशालय स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
20. सुरक्षित पत्रावली।

(संजय माथुर)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी